

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

—: सार्वजनिक सूचना :-

पृथ्वीराज नगर क्षेत्र के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के क्रम में यह आम सूचना प्रसारित की जाती है कि जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में सृजित अपनी आवासीय योजनाओं का दिनांक-22.10.1999 से पूर्व तक का रिकॉर्ड पूर्व में अवसर दिये जाने पर भी, जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा नहीं कराया था, वे गृह निर्माण सहकारी समितियाँ अब पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में दिनांक-22.10.1999 तक की सृजित अपनी आवासीय योजनाओं का रिकॉर्ड तीन प्रतियों में निर्धारित प्रोफॉर्मा में जो कि जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jaipurjda.org पर उपलब्ध है, के अनुसार दिनांक-25.07.2012 तक जमा करा सकते हैं:-

नोट-जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में सृजित अपनी आवासीय योजनाओं का रिकॉर्ड/सूचनाएँ दिनांक-22.10.1999 से पूर्व ही जमा करा दिया था उन्हें भी शेष अपेक्षित सूनचाएँ/संलग्नकों की पूर्ति निर्धारित प्रोफॉर्मा के अनुरूप आवश्यक रूप से निम्नलिखित स्थानों पर उपस्थित होकर करनी होगी:-

रिकॉर्ड जमा कराने का स्थान-

1. सामुदायिक भवन, मानसरोवर सेक्टर-12, जयपुर।
2. सामुदायिक केन्द्र, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर, जयपुर।

रिकॉर्ड जमा कराने का समय-

कार्यालय दिवस प्रातः 10.00 बजे से सांयः 4.00 बजे तक।

प्रतिनिधि:

7
सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

सहकारिता प्रकोष्ठ,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय—पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में गृह निर्माण सहकारी समितियों की
आवासीय योजनाओं का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने हेतु सूचना।
(योजना/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम.....
.....)

महोदय,

गृह निर्माण सहकारी समिति/विकास समिति से योजना के सम्बन्ध में चाही गई सूचनाएं
निम्न प्रकार से हैं:-

1. समिति का नाम, पंजीयन संख्या एवं दिनांक
2. समिति की प्रबन्धकारिणी की सूची/विकास समिति की प्रबन्धकारिणी समिति की सूची
(समिति के अवसायन होने की स्थिति में)
3. समिति की प्रबन्धकारिणी के संकल्प की दिनांक:/आमसभा की पुष्टि की दिनांक:
4. क्षेत्र का ब्यौरा जिसके लिए आवेदन किया गया।
 - (1) जोन संख्या-
 - (2) ग्राम और तहसील का नाम
 - (3) योजना की भूमि का विवरण (खसरा संख्या व क्षेत्रफल)

| ग्राम | तहसील | खसरा नम्बर | | रकबा | | क्षेत्रफल |
|-------|-------|------------|--------|------|--------|-----------|
| | | नया | पुराना | नया | पुराना | |
| | | | | | | |

5. आवेदन के साथ आवश्यक संलग्नक (3 प्रतियों में)

- (1) गृह निर्माण सहकारी समिति/विकास समिति के रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति।
- (2) गृह निर्माण सहकारी समिति/विकास समिति के प्रबन्धकारिणी के संकल्प की प्रमाणित प्रति।
- (3) गृह निर्माण सहकारी समिति/विकास समिति की आमसभा में संकल्प की पुष्टि एवं कार्यवाही विवरण की प्रमाणित प्रति।
- (4) योजना के सदस्यों की सूची मय पिता/पति का नाम एवं भूखण्ड संख्या मय क्षेत्रफल (सदस्यता सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर राजस्व ग्राम/तहसील का नाम, समिति पदाधिकारी (अध्यक्ष/मंत्री) के हस्तक्षार एवं समिति की मोहर अंकित करें)
- (5) स्वामित्व के समर्थन में दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति जैसे विक्रय विलेख इत्यादि और आवेदित भूमि के ब्यौरे।
- (6) जमाबंदी की नवीनतम प्रति (पटवारी द्वारा प्रमाणित)
- (7) ले-आउट प्लान, सेक्टर योजना (यदि कोई हो) पर खसरा अध्यारोपण (सुपर इम्पोजिशन) तथा मास्टर योजना/सेक्टर योजना/सडक क्षेत्र नेटवर्क योजना के अधीन आने वाली भूमि का क्षेत्र जो निःशुल्क अभ्यर्पित किया जाना है को दर्शाते हुये।
- (8) खसरा मानचित्र का ट्रेस।
- (9) की-प्लान
- (10) सर्वेक्षण नक्शा (पी.टी. सर्वे) मय सॉफ्ट (Soft) कॉपी (चार GPS कॉर्डिनेट सहित)
- (11) आवेदक गृह निर्माण सहकारी समिति/विकास समिति के पदाधिकारियों (अध्यक्ष एवं मंत्री) की पहचान का सबूत। (फोटो पहचान पत्र)
- (12) नोटेरी पब्लिक द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित शपथ पत्र (संलग्न प्रपत्र-1 के अनुसार)
- (13) क्षेत्र संगणना के ब्यौरें। (Area Calculation)। संलग्न प्रपत्र-2 के अनुसार।

6. अन्य विवरण।

- (1) क्या योजना कोई एच.टी./एल.टी लाईन या ट्रान्सफार्मर से प्रभावित है।
- (2) क्या भूमि देवस्थान विभाग, लोक न्यास, धार्मिक, पूर्वत संस्था या किसी वक्फ से सम्बन्धित है।
- (3) क्या योजना की दूरी रेलवे लाईन/राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग से नियमानुसार है अथवा नहीं है (अंकित करें)।
- (4) क्या योजना के सन्दर्भ में कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन/स्थगन से प्रभावित है, यदि हों, तो विवरण अंकित करें।
- (5) आवेदित भूमि की पहुंच सडक की चौड़ाई।
- (6) कोई अन्य सुसंगत सूचना
- (7) पृष्ठों की कुल संख्या
- (8) आवेदन की तारीख

नोट-उक्त अंकित बिंदुओं में किसी भी संलग्नक की प्रस्तुति के अभाव में प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं होगा।

घोषणा

1. मैं/हमअध्यक्ष/मंत्री
- गृह निर्माण सहकारी समिति/विकास समिति इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते है
कि उपर्युक्त प्रविष्टियां मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

आवेदक का पता—

.....
.....
.....

सम्पर्क नम्बर.....

(दूरभाष)

और ई-मेल पता—.....

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम)

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज कुल पृष्ठ एवं निम्नलिखित संलग्नक के साथ प्रस्तुत किये गये है।

संलग्नक:-

| | | | |
|----|---|-----|--|
| 1. | रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति। | 8. | खसरा मानचित्र |
| 2. | प्रबन्धकारिणी के संकल्प की प्रमाणित प्रति। | 9. | की-प्लान |
| 3. | आमसभा में संकल्प की पुष्टि एवं कार्यवाही विवरण की प्रमाणित प्रति। | 10. | पी.टी.सर्वे |
| 4. | सदस्यता सूची। | 11. | समिति पदाधिकारियों के फोटो पहचान पत्र। |
| 5. | स्वामित्व के समर्पण में प्रमाणित विक्रय विलेख इत्यादि। | 12. | शपथ पत्र |
| 6. | जमाबंदी की नवीनतम प्रति। | 13. | क्षेत्र सगणना के ब्यौरे। |
| 7. | ले-आउट प्लान | 14. | न्यायालय आदेश व दिनांक, यदि है तो। |

प्राप्तकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

प्राप्ति रसीद

आवेदक गृह निर्माण सहकारी समिति ने दिनांक..... को अपने अध्यक्ष/मंत्री के जरिये आवेदन कुल पेज एवं संलग्नक के साथ प्रस्तुत किया है। जो दिनांक-..... को रजिस्टर में संख्या..... पर रजिस्ट्रीकृत किया गया है। प्रकरण राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों के तहत प्रक्रिया अर्न्तगत निपटाया जायेगा। बैठक की तारीख और अतिरिक्त दस्तावेजों सम्बन्धी जानकारी, यदि कोई हो, एक माह के भीतर या तो दूरभाष पर सूचित की जावेगी या जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

प्राप्तकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र-1
10/-रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर
शपथ पत्र

मैं/हमअध्यक्ष/मंत्री

गृह निर्माण सहकारी समिति/विकास समिति लि. पता-सत्य व निष्ठापूर्वक घोषित करता/करती हूँ कि:-

1. मैं शपथपूर्वक घोषित करता/करती हूँ कि योजना की भूमि समिति द्वारा खातेदार से क्रय की गई है इस भूमि को राज्य सरकार/जविप्रा द्वारा आवासीय प्रयोजन के लिए नियमन किये जाने के विरुद्ध किसी भी स्तर के न्यायालय में किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश जारी या वर्तमान में प्रभावशाली नहीं है।
2. यह है कि प्रस्तुत दस्तावेजों में अंकित विशिष्टियां मेरी/हमारी जानकारी/समिति क रिकॉर्ड अनुसार सही है। इस सूचनाओं के अतिरिक्त इस योजना से सम्बन्धित कोई अन्य/दूसरा रिकॉर्ड समिति में न है न था। प्रस्तुत रिकॉर्ड अंतिम रिकॉर्ड है।
3. समिति द्वारा प्रत्येक भूखण्ड का एक ही आवंटन पत्र जारी किया गया है जो प्रस्तुत सदस्यता सूची के अनुसार है।
4. प्रस्तुत योजना का किसी अन्य योजना से ओवरलेपिंग नहीं है।
5. मैं समिति की तरफ से योजना का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत हूँ।

मैं शपथकर्ताअध्यक्ष/मंत्री

गृह निर्माण सहकारी समिति/विकास समिति लि. ईश्वर को साक्षी करके शपथ व निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि कोई भी तथ्य या महत्वपूर्ण बात छिपाई नहीं गई और तथ्य व रिकॉर्ड के विपरीत कोई बात कही गयी है। अतः ईश्वर सच बोलने में मेरी सहायता करे।

(शपथग्रहिता के हस्ताक्षर)

नाम.....

कार्यालय पता.....

दिनांक.....

AREA CALCULATION FORMAT

A. Single Patta Cases

(a) Details of calculation of total plot area is as per sheet attached

| S. NO. | Particulars | Area | Percentage |
|--------|--|------|------------|
| 1. | Total Area | | |
| 2. | Area under sector road / master plan road/highway, etc. (surrender deed shall be taken from the applicant) | | |
| 3. | Facility Area of sector/master plan @ 5% (if applicable) (surrender deed shall be taken from the applicant) | | |
| 4. | Net Plot Area (1-2-3) | | |

B. Details of Scheme Plot Area

(b) Details of calculation of total plot is as per sheet attached

| S. NO. | Particulars | Area | Percentage |
|--------|---|------|------------|
| 1. | Residential/Industrial/Institutional/Farm House/ Resorts or any other special township plot area | | |
| 2. | Commercial area (informal sector) | | |
| 3. | Commercial area general | | |
| 4. | Area under road including sector roads | | |
| 5. | Park/open spaces/plantation corridor | | |
| 6. | Area reserved for facility | | |
| | Total Area | | |

C. Details of Plots for Scheme

| S.No. | Block No. | Plot No. | Area in Sq. Mtr. | Area in Sq. Yds |
|--------------|-----------|----------|------------------|-----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| Total | | | | |

Signature of the Applicant